रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223777
CG-DL-E-18122020-223777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
No. 361] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

मामला सं. (एमटीआर - 02/2020)

विषय : रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्रैफ्लुओरोइथाइलीन" (पीटीएफई) के आयातों से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/10/2020-डीजीटीआर.—यत: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

क. **मूल जांच**

1. यत: अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्रैफ्लुओरोइथाइलीन" (पीटीएफई) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पी यू सी भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 24/1/98-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच

परिणाम 9 जून, 1999 को अधिसूचित किए गए थे और वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या 83/99 – सीमा शुल्क के माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने 13 अक्टूबर, 1999 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए, जिनमें संबद्ध वस्तु के संबद्ध आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई । संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 30 दिसंबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 141/99 – सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था।

2. प्राधिाकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी दिनांक 8 अक्टूबर, 2003 के माध्यम से शुरू की थी। प्राधिकारी ने यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है। दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की सिफारिश की थी। शुल्क के रूप को संदर्भ कीमत में परिवर्तित कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिसूचना संख्या 110/2004 – सीमा शुल्क दिनांक 18 नवंबर, 2004 के जरिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ायी।

3. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच अधिसूचना सं. 15/30/2008-डीजीएडी दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से शुरू की थी और यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है। दिनांक 26 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं. 15/30/2008-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की सिफारिश की थी। नियत रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिसूचना संख्या 57/2010 – सीमा शुल्क दिनांक 3 मई, 2010 के जरिए निश्चयात्कम पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ायी।

4. प्राधिकारी ने तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच 13 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 15/2/2015-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की और 12 अप्रैल, 2016 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए जिसमें यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है। शुल्क जारी रखने की सिफारिश की गई। पाटनरोधी शुल्क को घटाया गया था। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (ए डी डी) 6 जून, 2016 के माध्यम से शुल्क की अवधि पांच वर्ष के लिए बढ़ायी थी।

5. घरेलू उद्योग ने माननीय सेस्टेट के समक्ष अंतिम जांच परिणाम के विरूद्ध अपील दायर की थी। माननीय सेस्टेट ने दिनांक 16 सितंबर, 2016 के आदेश द्वारा एन आई पी के निर्धारण के मुद्दे पर मामले को वापस प्राधिकारी के पास भेजा । प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/2/2015-डीजीएडी दिनांक 15 मार्च, 2017 के माध्यम से संशोधित अंतिम जांच परिणाम जारी किए और वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 22/2017 दिनांक 16 मई, 2017 के माध्यम से संशोधित शुल्क लागू किए। उक्त ए डी डी 5 जून, 2021 तक लागू है।

ख. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच

6. मैसर्स गुजरात फ्लोर केमिकल्स लि० (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की राशि को बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दलील दी कि पहले हुई जांच के समय से परिस्थितियां बदल गई हैं और परिस्थितियों में इस बदलाव से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उसने लागू पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। तथ्यों की प्रथमदृष्ट्या जांच के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 16 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/10/2020 – डीजीटीआर के माध्यम से मध्याविध समीक्षा की शुरूआत की।

ख. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

i. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मध्याविध समीक्षा जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 16 अप्रैल, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और उद्योग एसोसिएशनों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए) को प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और ए डी नियमावली के निमय 6(2) के अनुसार उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था। उनसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या पत्र की तारीख से 37 दिनों के भीतर उत्तर देने का अनुरोध किया था।

iii. प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावासों के आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। आवेदन की प्रति मांगे जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।

iv. प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी थी।

क. हालो पोलिमर ट्रेडिंग इंक

v. संबद्ध जांच की उत्तर के शुरूआत में हालो पोलिमर पर्म, जे एस सी, हालो पोलिमर किरोवो-चेपेस्क, एल एल सी और हालो पोलिमर ट्रेडिंग इंक ने केवल अपने कानूनी अनुरोध दायर किए हैं। उक्त निर्यातकों ने बताया था कि कोविड-19 महामारी के कारण लाकडाउन की वजह से वे प्रश्नावली का उत्तर नहीं दे पाये। तथापि, घरेलू उद्योग ने निर्यातक के अनुरोध संबंधित टिप्पणियों के आधार पर दलील दी कि यह उनके कानूनी सलाहकारों द्वारा दिया गया वस्तुत: गलत विवरण है। जैसा निर्यातक ने स्वयं पुष्टि की है। निर्यातक ने बताया है कि वह लाकडाउन की अवधि के दौरान पूर्णत: चालू था। इस प्रकार निर्यातक को असहयोगी माना जा रहा है। तथापि, संगत पाये जाने पर अनुरोधों की जांच की गई है। इसलिए, संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। तथापि, रूसी परिसंघ ने अनुरोध किए हैं जिन पर विधिवत रूप से विचार हुआ है।

vi. रूसी संघ द्वारा प्रस्तुतियाँ को विधिवत माना गया है।

vii. ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को भी प्रश्नावली भेजी गई थी।

1.	मै० मेरठ पीटीएफई प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	2.	मै० ट्रेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स
3.	मै० टोंक एंड एसोसिएट्स (पी) लि०	4.	मै० जोमोजसैनमर लि०
5.	मै० टी एंड एफ इंसुलेशंस (पी) लि०	6.	मै० संघवी प्रोडक्ट्स
7.	मै० फाइनर इंटरप्राइजेस प्रा० लि०	8.	मै० रसाई फ्लो लाइन्स
9.	मै० वीनस इंडस्ट्रीज	10.	मै० सुप्रीमो पोलिमर इंडस्ट्रीज
11.	मै० सिफलॉन पोलिमर्स	12.	मै० पोलि फ्लोरो लि०
13.	मै० मिल इंडस्ट्रीज लि०	14.	मै० रोलोन बियरिंग्स प्रा० लि०
15.	मै० डिप इलोन इंजीनियरिंग कं०	16.	मै० प्लास्टिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कं०
17.	मै० कर्नाटक् पोलिमर प्रोडक्ट	18.	मै० ट्रेलीबोर्ग सीलिंग सल्यूशंस (इंडिया) प्रा० लि०
19.	मै० पीकेएन कैप्स एंड पोलिमर्स (प्रा०) लि०	20.	मै० मच पोलिमर्स
21.	मै० संघवी टेक्नो प्रोक्ट्स	22.	मै० गाजियाबाद फ्लोपोल इंसुलेशंस प्रा ०लि
23.	मै० जय हिंद पोलिमर्स	24.	मै० टेफकोट केबल कंपनी
25.	मै० ध्वानी पोलिमर इंडस्ट्रीज	26.	मै० इलेक्ट्रो पोलिमर्स प्रा० लि०
27.	मै० अफलोन इंजी. कारपोरेशन	28.	मै० हिन्दुस्तान पोलिमर्स
29.	मै० पैकलोन इंडस्ट्रीज	30.	मै० आरती इंजी.प्लास्टिक्स
31.	मै० फ्लोरा इंटरप्राइजेस प्रा० लि०	32.	मै० एस. एन. इंटरप्राइज
33.	मै० बाबूजी इलेक्ट्रानिक्स एंड केमिकल्स	34.	मै० हाई-टेक पोलिमर्स

35.	मै० हिन्दुस्तान नायलॉन्स	36.	मै० नेशनल फ्लोरोमर्स, इंडस्ट्रीयल
37.	मै० नियो वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स प्रा०	38.	मै० पॉप-फ्लोन इंजीनियरिंग कं०
39.		40.	मै० वी बी इंडस्ट्रीज
41.	मै० फ्लोरो – टेक इंजीनियरिंग प्रा० लि०	42.	मै० गैलेक्सी थर्मोप्लास्ट प्रा० लि०
43.	मै० जीएमएम पी फॉडलर लि०	44.	मै० डाइनेमिक (जीएलएस) इंडस्ट्रीज
45.	मै० श्रद्धा पोलिमर इंडस्ट्रीज	46.	मै० कानन पोलिमर

viii. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में किसी भी उक्त आयातक प्रयोक्ता और एसोसिएशन ने न तो उत्तर दिया है और न ही प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ix. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा था जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा गया।

x. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां आवश्यक है, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

xi. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।

xii. वर्तमान जांच के डेस्क प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।

xiii. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एन आई पी कहा गया है) निर्धारित की गई है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।

xiv. जांच अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 (9 महीने) (जिसे आगे जांच अवधि या पी ओ आई कहा गया है) की अवधि के दौरान की गई थी। प्रवृत्तियों की जांच में क्षति विश्लेषण के संबंध में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और पी ओ आई की अवधि शामिल है।

xv. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच अवधि सहित पिछले चार वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु के आयात ब्यौरा उपलब्ध करायें तथा वह प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयात और क्षति विश्लेषण की मात्रा और मूल्य की गणना हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का प्रयोग किया है।

xvi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 28 अगस्त, 2020 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सभी पक्षकारों से उनके लिखित अनुरोध तथा लिखित अनुरोधों के खंडन क्रमश: 3 सितंबर, 2020 और 8 सितंबर, 2020 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अधिसूचना में विचार किया गया है।

xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से मना किया है या वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना को अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है तो प्राधिकारी ने अपनी समुक्ति उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज की है।

xix. डिस्क्लोजर अथॉरिटी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों वाले 18.11.2020 पर एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जारी किया गया था, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर कमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए 25.11.2020 तक का समय। प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों से प्राप्त पोस्ट डिस्क्लोजर टिप्पणियों को उचित माना है।

xx. इस अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxi. पी ओ आई के लिए अमेरिकी डॉलर को भारतीय रूपए में परिवर्तित करने के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.24 रुपए मानी गई है।

ग विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 **घरेलू उद्योग के विचार**

8. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के साथ निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चूंकि वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने के लिए अनुरोध की जांच के लिए एक मध्यावधि समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जिसे पिछली जांच में परिभाषित किया गया है।

ii. पिछली जांच और वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद "पॉलीटेट्रैफ्लुओरोइथाइलीन" (जिसे पी टी एफ ई के रूप में भी जाना जाता है) है।

iii. पीटीएफई सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 390461 और 39046100 के अंतर्गत आता है। तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयात की जाने वाले संबद्ध वस्तु में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम-उपयोग के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, नियमावली के अनुसार इन्हे समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ग.2 **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

9. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचारधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध नहीं किया है।

ग.3 **प्राधिकारी द्वारा जाँच**

10. वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा जैसा कि अंतिम संचालित निर्णायक समीक्षा जांच में परिभाषित किया गया है रूस के मूल के या वहाँ से निर्यातित पोलिटेट्रैफ्लुइरोइथाइलीन" (जिसे पीटीएफई भी कहा जाता है) है।

11. पीटीएफई का उत्पादन विभिन्न ग्रेड में किया जाता है, जैसे मोल्डिंग ग्रेड, फाइन पाउडर, जलीय फैलाव और भरे हुए ग्रेड के मिश्रित ग्रेड। पूर्ववर्ती मामले और वर्तमान शुल्क के दायरे में शामिल किए गए सभी ग्रेड वर्तमान समीक्षा के दायरे में आते हैं। पीटीएफई का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रासायनिक उद्योगों में उनकी विशिष्ट विशेषताओं के लिए किया जाता है जो व्यापक आवृत्ति रेंज में रासायनिक जड़ता, विद्युत और थर्मल इन्सुलेशन, घर्षण के कम गुणांक, गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील, विकिरण के प्रतिरोध, स्थैतिक और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर और उत्कृष्ट विद्युतीय गुण हैं।

12. इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क टैरिफ उप-शीर्ष 390461 और 39046100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

13. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में दी गई जानकारी को नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु के "समान वस्तु" है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, तकनीकी विशिष्टताओं, कार्यों या अंतिम उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत

निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 **घरेलू उद्योग के विचार**

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. मैसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने के लिए समीक्षा हेतु आवेदन दायर किया है। आवेदक के अलावा देश में पीटीएफई का एक अन्य उत्पादक है, जिसका नाम है, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। तथापि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक बना हुआ है और जांच अवधि में भारतीय उत्पादन में 99% की हिस्सेदारी रखता है इसलिए वह घरेलू उद्योग है।

ii. आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है, और इसके अलावा वह नियम 2(ख) के भीतर सम्बद्ध देश मे सम्बद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है।

iii आवेदक स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

घ.2 **अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

15. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध नहीं किया है।

घ.3 **प्राधिकारी द्वारा जाँच**

16. आवेदन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, संबद्ध वस्तु का एक अन्य उत्पादक भी है जिसका नाम हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड है।

17. आवेदक द्वारा उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का 99% है। इसके अलावा, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है, और यह संबद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

18. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमों के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है और मानते हैं कि आवेदन स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 **घरेलू उद्योग के विचार**

19. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:

i. समस्त सूचना का संभव सीमा तक प्रकटन किया गया है। क्षति मार्जिन और सामान्य मूल्य की गणना के आधार के बारे मे अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में, सूचना की गोपनीयता के भीतर संभव सीमा तक खुलासा किया गया है।

ii. उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर प्रमुख कच्चे माल और अन्य लागतों पर विचार करते हुए किया गया है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से बिक्री की लागत में उचित लाभ जोड़ा गया है।

iii. वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी का प्रकटन नहीं किया गया है।

ङ.2 **अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

20. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार इस प्रकार हैं:

i. पारदर्शिता और गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच के दौरान रूसी परिसंघ ने बताया कि अगोपनीय अंश में सामान्य मूल्य और परिकलित क्षति मार्जिन के संबंध मे किसी सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है जो रूस को बचाव के अधिकार से वंचित करता है और अनुच्छेद 6.2 का उल्लंघन करता है।

ड़.3 **प्राधिकारी द्वारा जाँच**

21. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय संस्करण ई-मेल के माध्यम से ई-फाइल के रूप मे उपलब्ध कराया जिसमे नियम 6 (7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय संस्करण निरीक्षण के लिए रखे गए थे।

22. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहाँ भी आवश्यक हो इस तरह की जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दर्ज की गई जानकारी के पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय संस्करण को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। जो भौतिक सार्वजनिक एक्सेस फ़ाइल की बाधाओं के कारण इच्छुक पार्टियों द्वारा ऑनलाइन एक-दूसरे के बीच साझा किए गए थे।

च. पाटन का मूल्यांकन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

23. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

24. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, तथा उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके की जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। निर्यातक के कानूनी सलाहकारों ने प्रश्नावली का उत्तर देने में असमर्थता के संबंध में निम्नानुसार बताया।

"इस बात पर ध्यान दिया जाए कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इस तरह के लॉक डाउन के कारण ई क्यू के उत्तर पक्षकार द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते हैं। ई क्यू आर में 4 वर्षों के लिए बहुत विस्तृत जानकारी देना अपेक्षित है जो कि निर्धारित प्रारूप में आसानी से उपलब्ध नहीं थी और पक्षकार समय सीमा के भीतर प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि कार्यालय चालू नहीं थे और संबंधित व्यक्ति के पास इतने पुराने और विस्तृत आकड़ों तक कोई उचित पहुंच नहीं थी।"

25. तथापि निर्यातक ने अनुरोध के हाशिये पर निम्नानुसार बताया है

"हम यह सिद्ध नहीं कर सकते की प्लांट्स और कार्यालयों ने लॉक डाउन अवधि के दौरान काम किया"

26. यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातक ने समय सीमा या उसके बाद भी प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यातक ने प्राधिकरण के साथ सहयोग नहीं किया है। तथापि निर्यातक, हेलो पॉलिमर पर्म, जेएससी ने यूएस डा. 4.5/किलोग्राम की न्यूनतम कीमत के लिए मूल्य वचनबद्धता की पेशकश की है। निर्यातक द्वारा कोई ग्रेड वार प्राइस ऑफर नहीं है। हालाँकि, चूंकि निर्यातक ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया के साथ सहयोग नहीं किया है, और उत्पाद में कई विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, इसलिए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत मूल्य उपक्रम को स्वीकार नहीं किया गया है।

च .1 **सामान्य मूल्य**

27. चूंकि रूस में किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर देकर प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और न ही संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग की याचिका में निहित जानकारी सहित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए विवश है। तदनुसार, सामान्य मूल्य रूस में उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे उचित लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

28. पहले हुई जांच में आयात केवल ग्रेड 4आरबी से संबंधित है, तथापि जांच अवधि में आयात विभिन्न अन्य ग्रेड में भी हुए है। अन्य ग्रेड जांच अवधि में हुए कुल आयात का 69% बनते है। सामान्य मूल्य अलग-अलग ग्रेड के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी ग्रेडों के भारित औसत सामान्य मूल्य यूएस ***अम डा / एमटी के रूप में गणना की गई है।

च.2 **निर्यात कीमत**

29. संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत की कोई जानकारी/विवरण प्रदान नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने डी जी सी आइ एंड एस आयात आंकड़ो के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। इसके अलावा, रूस से सभी निर्यातकों के संबंध में कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री माल ढुलाई, बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बीमा, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय माल ढुलाई प्रभार के लिए उचित समायोजन करने के बाद निर्धारित की गई है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित सभी ग्रेड के लिए भारित औसत शुद्ध निर्यात कीमत ***अम डा / एमटी है।

च.3. **पाटन मार्जिन**

30. कारखाना द्वार स्तर पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है। प्राधिकारी ने प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत *** रु/किग्रा (***अम डा / किग्रा) बनता है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

छ.1 **क्षति का निर्धारण**

छ.1.1 **घरेलू उद्योग के विचार**

31. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. 2016-17 के बाद से उत्पादन की लागत में वृद्धि के मद्देनजर पहले पूरी हुई जांच के बाद से एनआईपी में काफी बदलाव आया है, जबकि आयात मूल्य में पिछले वर्ष अर्थात 2018-19 से काफी गिरावट आई है। इस प्रकार, क्षति मार्जिन बढ़ा है।

ii. आयात की मात्रा पिछले वर्ष के आयात के 16 गुना बढ़ गई है। यदि कोरियाई आयात को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा और अधिक होगा।

iii. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ गई है।

iv. आयात में पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि मे समग्र रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है।

v. कीमत कटौती पहले नकारात्मक थी क्योंकि आयात की मात्रा कम थी। तथापि, पीओआई में कीमत कटौती सकारात्मक हो गई और आयात में काफी वृद्धि हुई।

vi. क्षति अवधि में उत्पादन की लागत बढ़ गई है और पीओआई में बिक्री कीमत में गिरावट आई है। आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत के स्तर से काफी कम थी।

vii. बढ़ती मांग को देखते हुए क्षमता में वृद्धि हुई है। उत्पादन 2018-19 तक बढ़ा लेकिन पीओआई में उसमे गिरावट आई है। 2018-19 तक क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है लेकिन पीओआई में गिरावट आई है। मांग बढ़ने के बावजूद बिक्री में गिरावट आई है।

viii. नकद लाभ, लाभप्रदता और आरओआई, 2018-19 तक बढ़े हैं किन्तु पीओआई में इनमे काफी गिरावट आई है।

ix. डीआई की बाजार हिस्सेदारी 2018-19 तक बढ़ी लेकिन पीओआई में इसमे गिरावट आई, जबकि आयात 2018-19 तक कम हुआ और पीओआई में उसमे वृद्धि हुई।

x. 2018-19 तक मालसूची में गिरावट आई लेकिन पीओआई में वृद्धि हुई।

xi. 2018-19 तक वृद्धि सकारात्मक थी किन्तु सभी मानकों में पीओआई में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

xii संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद, निर्यातक ने ई क्यू आर प्रस्तुत नहीं करके भाग नहीं लेने को जानबूझकर चुना है, और इसलिए उसे असहयोगी माना जाना चाहिए, जैसा उनके लिखित अनुरोधों से सिद्ध होता है।

xiii. शुल्कों की समाप्ति से एक वर्ष पहले एमटीआर जांच कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू उद्योग पहले से ही क्षति उठा रहा है। निर्णायक समीक्षा जांच की प्रतीक्षा करने का मतलब घरेलू उद्योग को कम से कम एक वर्ष तक लगातार क्षति होते रहना होगा।

xiv. मूल्य वचनबद्धता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि (क) निर्यातक के पास ईक्यूआर दाखिल न करने के कारण के संबंध में बिलकुल गलत कथन है; (ख) विभिन्न किस्मों की कीमतें बदलती रहती हैं; (ग) निर्यातक ने पिछली जांच अवधि में केवल एक ग्रेड बेचा और उस पर कम शुल्क लगा, मूल्य वचनबद्धता इस प्रक्रिया को बेकार कर देगी; (घ) परिवंचना का भी प्रथम दृष्टया मामला है।

xv. कीमत वचनबद्धता को डीआई के पक्ष मे बताया जा रहा है जबकि वास्तव में उच्च पाटन मार्जिन है और निर्यातक का रुझान पाटन कि ओर है।

xvi. आवेदक ने कोरियाई आयातों को केवल रूसी आयात की मात्रा दिखाने के लिए संदर्भित किया है - चाहे सीधे आयात किया जाए या अन्य देशों के माध्यम से। तथापि वर्तमान मामले के गुण-दोष, एकल आधार पर आकड़ों के अनुसार पूर्णतः सिद्ध हैं। सभी आकडे जैसे एनआईपी, क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत, पहुच कीमत और आयात कीमत की गणना केवल रूस के लिए की गई है। कोरिया से रिपोर्ट किए गए आयातों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है।

xvii. निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) क्षतिरहित कीमत की तुलना में बहुत कम है।

xviii. निर्यातक ने पिछली जांच अवधि सुविधाजनक रूप से केवल एक ग्रेड का निर्यात किया था, इस प्रकार कम शुल्क को आकर्षित किया; और अब कई ग्रेड निर्यात कर रहा है। प्राधिकारी ने एक ग्रेड के आधार पर पीयूसी के पूरे स्पेक्ट्रम पर इतना कम शुल्क लगाया था, भले ही मूल्य और लागत ग्रेड के अनुसार भिन्न हो। 4 आर बी के लिए मार्जिन भी काफी बढ़ गया है।

xix. निर्यातक ने फ्लोरस्पार की लागत में गिरावट के लिए कोई आकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्य से पता चलता है कि वास्तव में 2018-19 और जांच अवधि में फ्लोरस्पार की कीमत में काफी वृद्धि हुई है।

xx. एक अंत-बिंदु से अंत-बिंदु विश्लेषण के बजाय, घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति की जाँच के लिए पूरी क्षति अवधि के भीतर घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना करना उचित नहीं है। ऐसा विश्लेषण बीच कि अवधि के लिए जानकारी को निरर्थक बना देगा और यह एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहीं होगा। *अर्जेंटीना - जूते के आयात पर सुरक्षा उपाय, और ईसी - ट्यूब या पाइप फिटिंग* का संदर्भ दिया गया है

xxi. आधार वर्ष से आकडे प्रदान करने का उद्देश्य इतना है कि माननीय प्राधिकारी परिस्थितियों में बदलाव और घरेलू उद्योग में क्षति के साथ व्यापार के पैटर्न में बदलाव को समझ सकें। यदि एक निश्चित वर्ष के बाद भी ऐसा होता है, तो ऐसा हो, क्योंकि यह वर्तमान आवेदन के तथ्यों को सही ठहराता है, इसलिए कि जब तक आयात पाटित कीमतों में नहीं आ रहा था, घरेलू उद्योग अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम था।

xxii. एचएफ एसिड मामला वर्तमान मामले से अलग है। एच एफ एसिड मामले में भी अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक विश्लेषण नहीं किया गया था। यह आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष दोनों से था ए। एच एफ एसिड के मामले में घरेलू उद्योग के लाभ और आर ओ आई में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में सुधार हुआ था। तथापि, वर्तमान मामले में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लाभ और आर ओ आई में भारी गिरावट आई है।

xxiii. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, कटौती और कम कीमत पर बिक्री तथा घरेलू उद्योग के सभी मापदंडों विशेष रूप से लाभ और आर ओ आई में एच एफ एसिड मामले से अलग ऋणात्मक वृद्धि के सकारात्मक साक्ष्य हैं, जैसा कि एचएफ एसिड के निष्कर्ष पढ़ने से प्रतीत होता है निर्यातक ने दोनों मामलों की तुलना करके इस मामले के तथ्यों का समर्थन किया है और अन्य कारण भी बताए हैं जिनसे शुल्क बढ़ाने की जरूरत है।

xxiv. जब तक शुल्क प्रभावित थे, घरेलू उद्योग अच्छा कार्य निष्पादन कर रहा था। तथापि, 2018-19 से परिस्थितियां बदल गईं, जैसा प्रस्तुत आंकड़ों में दर्शाया गया है।

xxv. 22 प्रतिशत का आर ओ आई प्राधिकारी द्वारा विचारित आर ओ आई का तर्कसंगत स्तर है जिसे घरेलू उद्योग अब तक प्राप्त नहीं कर सका है। घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज अधिकतम आर ओ आई *** प्रतिशत का था। तब से आर ओ आई घटकर केवल *** प्रतिशत रह गया है।

छ.1.2 **हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

32. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार अर्थात हेलो पालीमर ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. उत्तर नहीं देने का कारण कोविड-19 है क्योंकि कंपनी प्रचालन नहीं कर सकी थी।

ii. शुल्क अब से एक वर्ष में समाप्त हो जाएंगे और इसलिए इस स्तर पर एम टी आर अनिवार्य नहीं है।

iii. तथ्यों में शुल्क रद्द करना प्रदर्शित होता है और शुल्क को बढ़ाए जाने का दावा निराधार है। इसलिए कीमत वचनबद्धता पर विचार किया जाना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा कीमत वचनबद्धता को तुरंत वापस लेना दर्शाता है कि मामले में तथ्य का अभाव है।

v. आवेदन कानून के अंतर्गत व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि परिवंचना की कल्पना की गई है। एम टी आर परिवंचना दोनों की पी ओ आई समान है। परिवंचना मामले की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में बताया गया है कि परिवंचना के कारण उपचारात्मक प्रभाव निष्क्रिय हो गए हैं। यह आवेदक द्वारा अनेक उपचार मांगे जाने का मामला है।

vi आवेदक का यह दावा कि केवल 4 आरबी निर्यातित हुआ था और अब अन्य ग्रेडों का निर्यात हो रहा है, गलत है। तथ्य यह है कि अन्य ग्रेडों का पहले निर्यात किया गया है।

vii. मात्रात्मक एनआईपी/क्षति मार्जिन का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि डी आई को क्षति नहीं हुई है। आवेदक को रूस से आयात तथा क्षति संबंधी आंकड़े देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। क्षति मार्जिन में वृद्धि अव्यवहार्य है क्योंकि कोरिया से आयात पर विचार किया गया है।

viii. याचिका में आयातों में गिरावट तथा आयात कीमत में वृद्धि दर्शायी गई है। इससे पता चलता है कि निर्यातक भारतीय बाजार में इसी मात्रा को बनाए रखने के लिए कीमत नहीं घटा रहे थे और आयात भारत में आवश्यकतानुसार हो रहे थे।

ix. आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग के मानदंडों में सुधार हुआ है। एम टी आर का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना और एकाधिकार प्राप्त करना है। क्षति निर्धारित करने हेतु एनआईपी के लिए 22 प्रतिशत आर ओ सी ई बैंचमार्क समीक्षा हेतु विचारणीय नहीं है। इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष 22 प्रतिशत के आश्वासन के रूप में एडीडी पर विचार नहीं किया जा सकता है।

x. पीटीएफई मूल रसायन है, इसलिए प्रमुख कच्ची सामग्री के कारण कीमतों में अस्थिरता से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवेदक के अनुकूल क्षति अवधि की जांच तर्कसंगत नहीं है । ए डी मामलों में आधार वर्ष से पीओआई समान है और यह नहीं दर्शाया गया है कि ऐसा इस मामले में क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

xi. ब्याज, मूल्य ह्रास, मजदूरी में भारी वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि का अभाव जैसे कारकों आदि को लाभ में मामूली गिरावट के रूप में देखा जाना चाहिए । इसके अलावा इस मामले में परिवंचना कारणात्मक संबंध के विपरीत है ।

xii. एच एफ एसिड और पीटीएफई एमटीआर के तथ्यों की तुलना पर यह देखा जाएगा कि इस मामले का परिणाम एच एफ एसिड जैसा होना चाहिए ।

xiii. रूस से आयात में गिरावट आई है और कीमतों में वद्धि हुई । कीमतों में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक है । एन एस आर, एनआईपी से अधिक है, इसलिए कोई क्षति नहीं हुई है ।

xiv. हेलो पॉलीमर ने पूर्व में अन्य प्रकार के उत्पाद निर्यातित किए हैं । आयात कीमत में आधार वर्ष से 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । फ्लोरस्पार की लागत स्थिर रही है और पी ओ आई में घटी है । क्षति मापदंडों में भारी कार्य निष्पादन और भारी लाभ दर्शाए गए हैं ।

xv. एनआईपी/क्षति मार्जिन केवल शुल्क की राशि के लिए संगत है और क्योंकि कोई क्षति नहीं हो रही है, इसलिए बढ़े हुए क्षति मार्जिन का कोई अर्थ नहीं है । सकारात्मक कटौती के दावे का तब कोई अर्थ नहीं है जब घरेलू उद्योग बिक्री कीमत सहित मात्रा और कीमत में सुधार दर्ज कर सकता हो । सकारात्मक कटौती काफी अधिक एन एस आर के कारण हो सकती है ।

xvi. वर्तमान मामले में एडीडी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लाभ, पी बी आई टी और आर ओ सी ई में भारी वृद्धि हुई है ।

33. रूसी परिसंघ ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पीओआई (9 महीने) और पूर्ववर्ती वर्षों (पूर्ण वित्तीय वर्ष) की तुलना इन अवधियों के समतुल्य नहीं होने के कारण गलत है ।

ii. यदि यह तर्क भी कि उत्पादों की अन्य रेंज भारत को निर्यातित नहीं हुई है, विचारित किया जाए तो तब भी एडीडी के दायरे में 1999 से सभी रेंज शामिल हैं ।

iii. कोई साक्ष्य नहीं है कि कच्ची सामग्री की लागत में रूस के उत्पादों हेतु वृद्धि हुई है और यह कि रूस के उत्पादकों ने अपनी कीमत में आनुपातिक वृद्धि नहीं की है ।

iv. कुल आयातों में रूस का हिस्सा आधार वर्ष से पीओआई में 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गया है । पी ओ आई में आयातों में मामूली वृद्धि बढ़ती हुई भारतीय मांग के कारण हो सकती है ।

v. दक्षिण कोरिया सहित सूचना असाक्ष्यांकित है और इसलिए अस्वीकार्य है । तीसरे देशों से आयात में आधार वर्ष से 153 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसलिए भारतीय उद्योग में गिरावट उसके कारण हो सकती है ।

vi पिछली दो अवधियों अर्थात 2018-19 और पी ओ आई में तुलना की गई है । क्षति अवधि 2016-17 से है, इसलिए आवेदक की स्थिति आधार वर्ष से पी ओ आई में देखी जा सकती है । वृद्धि: (क) क्षमता 9 प्रतिशत तक, (ख) उत्पादन 35 प्रतिशत तक, (ग) क्षमता उपयोग 23 प्रतिशत तक, (घ) घरेलू बिक्री मात्रा 26 प्रतिशत तक, (ड.) निर्यात बिक्रियां 45 प्रतिशत तक, (च) मजदूरी 74 प्रतिशत तक, और (छ) उत्पादकता 35 प्रतिशत तक ।

छ. 1.3 **प्राधिकारी द्वारा जांच**

34. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो । इसमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित समस्त संगत कारकों पर विचार करना शामिल होगा ।

35. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के

कीमत प्रभावों के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या अन्यथा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक कमी करना है, या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

36. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित् आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया गया है।

37. यह नोट किया जाता है कि परिवंचना रोधी जांच इस आधार पर भी शुरू की गई है कि रूस से आयात कोरिया के रास्ते परिवंचित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, क्षति विश्लेषण मात्रात्मक प्रभाव की जांच के समय कोरिया से आयातों को शामिल करके और बाहर रख के दोनों तरह से किया गया है।

38. पी ओ आई में सभी आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया (अर्थात 12 से गुणा और 9 से विभाजित किया गया) और तब पूर्ववर्ती वर्षों के साथ इसका विश्लेषण/तुलना की गई और जहां भी, वर्तमान जांच परिणामों की विभिन्न प्रकारों के लिए उचित तुलना अनिवार्य समझी गई, प्राधिकारी ने ग्रेडवार विश्लेषण आयोजित किया है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(क) **मांग का निर्धारण**

39. भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में भारत में उत्पाद की वर्तमान जांच, मांग या स्पष्ट खपत के उद्देश्य से प्राधिकरण ने विचार किया है। नीचे दी गई तालिका में मांग का आकलन और प्रस्तुत किया गया है।

भारत में मांग	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
आबद्ध सहित घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	150	120	120
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	73	88	88	88
रूस से आयात	मी. ट.	473	567	18	290	217
कोरिया से आयात- प्रति संतुलनकारी	मी. ट.	0.050	0.501	462	605	453
रूस और कोरिया दोनों से कुल आयात	मी. ट.	473	568	479	894	671
ए डी डी आकृष्ट करने वाले अन्य देश- चीन जन.गण. से आयात	मी. ट.	573	700	1024	844	633
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	1070	1299	982	1083	812
भारत में कुल मांग	मी. ट.	9657	11045	13750	11872	8904
	सूचीबद्ध	100	114	142	123	123

40. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग ने पूर्ण क्षति अवधि में मामूली गिरावट के साथ, क्षति की अवधि में वृद्धि देखी है।

(ख) **आयात मात्रा और बाजार हिस्सा**

41. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (ii) में यह व्यवस्था की गई है कि पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या या तो कुल रूप में या उत्पादन के सापेक्ष अथवा भारत में खपत के रूप में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । आयातों और बाजार हिस्से से संबंधित सूचना नीचे सारणी में उपलब्ध कराई गई है:-

आयात मात्रा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
रूस	मी. ट.	473	567	18	290	217
कोरिया	मी. ट.	0	1	462	605	453
ए डी डी आकृष्ट करने वाला अन्य देश- चीन जन.गण.	मी. ट.	573	700	1024	844	633
अन्य देश	मी. ट.	1070	1299	982	1083	812
कुल आयात मात्रा	मी. ट.	2116	2567	2485	2822	2116
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात (कोरिया के अलावा)						
उत्पादन	%	22.33	22.10	0.71	10.27	10.27
मांग	%	4.89	5.14	0.13	2.44	2.44
	सूचीबद्ध	*100*	*105*	*3*	*50*	*50*
घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*3*	*49*	*49*
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात (कोरिया सहित)						
उत्पादन	%	22.34	22.12	19.29	31.70	31.70
मांग	%	4.90	5.14	3.49	7.53	7.53
	सूचीबद्ध	*100*	*105*	*71*	*154*	*154*
घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*75*	*150*	*150*

42. यह देखा गया है कि कुल रूप में, रूस से आयातों में 2017-18 तक गिरावट आई और पी ओ आई में उसके पश्चात उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई । उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयातों ने इसी प्रवृति का अनुसरण किया । कोरिया को शामिल करने के पश्चात, जो कथित रूप से रूस पर लगाए गए शुल्कों को प्रति संतुलित कर रहा है, आयातों ने पीओआई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है ।

कीमत प्रभाव

43. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से तुलना की गई है ।

(क) **कीमत कटौती**

44. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुई होती। इसके अलावा, इस प्रयोजन हेतु केवल रूस से निर्यातों पर विचार किया गया है।

कीमत कटौती- रूस	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
ए डी डी के बिना					
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./किग्रा.	318.21	465.36	721.09	442.35
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% Range	25-35	20-30	1-10	25-35
ए डी डी के साथ					
आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	377.64	522.50	783.02	504.66
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	***	***	(***)	***
कीमत कटौती	%	***	***	(***)	***
कीमत कटौती	% Range	15-25	10-20	(0-10)	15-25

45. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और इसलिए ये घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही हैं। ए डी डी के साथ आयातों की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सकारात्मक कटौती उच्च एन एस आर के कारण है, जो सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि बिक्री कीमत एन आई पी से भी कम है।

(ख) **कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण**

46. यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण कर रहे थे और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों में ह्रास करता है और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करता है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना की है और नीचे सारणी में दर्शाया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
ए डी डी के बिना आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	318	465	721	442
	सूचीबद्ध	*100*	*146*	*227*	*139*
ए डी डी सहित आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	*378*	*522*	*783*	*505*
	सूचीबद्ध	*100*	*138*	*207*	*134*
बिक्रियों की लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*102*	*112*	*128*

बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*131*	*160*	*137*

47. यह देखा गया है कि आयातों की बिक्रियों, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में 2018-19 तक वृद्धि हुई थी। तथापि, जब पी ओ आई में बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई थी, आयातों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। आयातों की पहुंच कीमत (ए डी डी के साथ भी) पी ओ आई में बिक्रियों की लागत और बिक्री से कम थी। इस प्रकार, आयात पी ओ आई में घरेलू बाजार में उत्पाद की कीमतों का ह्रास कर रहे थे।

(ग) **कम कीमत पर बिक्री**

48. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) को निर्धारित किया गया है और कीमत ह्रास से कम कीमत पर बिक्री की सीमा तक पहुंचने के लिए संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध अयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम थी, जैसा कि सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है। भारांशित औसत क्षति मार्जिन को रूपए ***/कि.ग्रा. (अम. डॉ. ***/ कि.ग्रा.) पर ग्रेडवार परिकलित किया गया है।

49. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न कीमत पर थे जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण रूप से कम कीमत पर बिक्री हुई।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

50. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की उद्देश्यपरक जांच की है।

(क) **उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग तथा बिक्रियां**

51. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग नीचे सारणी में दिए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*109*	*109*	*109*
उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*108*	*155*	*134*	*134*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*109*	*141*	*123*	*123*
आबद्ध सहित घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	150	120	120

52. यह नोट किया गया है कि :

i. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है ।

ii. उत्पादन और बिक्रियों में 2018-19 तक वृद्धि हुई थी । हालांकि, मांग में वृद्धि के बावजूद पी ओ आई में उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट आई है ।

iii. 2018-19 तक क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई किन्तु पी ओ आई में गिरावट आई । इसके अलावा, क्षमता उपयोग का स्तर भी निम्न है ।

(ख) **लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह**

53. क्षति अवधि के दौरान निवेश पर आय, ब्याज के पूर्व और पश्चात लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रवाह नीचे दी गई सारणी के अनुसार है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
बिक्री की लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*102*	*112*	*128*	*128*
बिक्री की कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*131*	*160*	*137*	*137*
पी बी टी प्रति इकाई घरेलू बिक्रियां	रू./किग्रा.	(***)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*(100)*	*1,932*	*3,322*	*475*	*475*
कर पूर्व कुल लाभ – घरेलू बिक्रियां	लाख रू.	(***)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*(100)*	*2,324*	*4,478*	*598*	*449*
ब्याज तथा कर पूर्व कुल लाभ-घरेलू बिक्रियां	लाख रू.	(***)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*(100)*	*2,684*	*5,224*	*949*	*712*
नकद लाभ	लाख रू.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*1,232*	*2,306*	*494*	*371*
नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में पी बी आई टी	%	(***)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*(100)*	*2,448*	*4,258*	*1,054*	*1,054*

54. यह देखा गया है कि :

i. पहले उठाई जा रही वित्तीय हानियों की स्थिति से घरेलू उद्योग ने उभरने में सफलता पाई । 2018-19 तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है । तथपि, पी ओ आई में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आयात मात्रा में वृद्धि और पी ओ आई में आयात कीमत में गिरावट के साथ महत्वपूर्ण गिरावट आई है ।

ii. ब्याज पूर्व लाभों, नकद लाभों, आर ओ आई में 2018-19 तक वृद्धि हुई थी । हालांकि, आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट के तद्नुरूप पी ओ आई में ब्याज पूर्व लाभों, नकद लाभों, आर ओ आई में महत्वपूर्ण गिरावट आई है ।

(ग) **मांग में बाजार हिस्सा**

55. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दिया गया है :-

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
आबद्ध सहित घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*98*	*105*	*98*
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
संबद्ध देश –रूस	%	4.89	5.14	0.13	2.44
कोरिया	%	0.00	0.00	3.36	5.09
अन्य देश जहां ए डी डी लागू है – चीन जन.गण.	%	5.94	6.34	7.45	7.11
अन्य देश	%	11.08	11.76	7.14	9.12
मांग में कुल हिस्सा	%	100	100	100	100

56. यह देखा गया है कि 2018-19 तक घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई थी, जबकि रूसी आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई थी। तथापि, रूसी आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के साथ और चीन के बाजार हिस्से में गिरावट के बावजूद, पी ओ आई के दौरान घरेलू बाजार के बाजार हिस्से में गिरावट आई।

57. कोरियाई आयातों को शामिल करने के पश्चात मांग में रूस के बाजार हिस्से ने पी ओ आई में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी।

(घ) **रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी**

58. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या, इसकी उत्पादकता और अदा किए गए वेतन का विश्लेषण निम्नानुसार दर्शाता है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई	
					वार्षिकीकृत	वास्तविक
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*109*	*127*	*135*	*135*
प्रति इकाई उत्पादकता	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*143*	*125*	*125*	*125*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*122*	*100*	*100*
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*109*	*127*	*174*	*174*

59. यह देखा गया है कि क्षमता में वृद्धि के साथ क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास रोजगार में वृद्धि हुई है। पूरी क्षति अवधि के दौरान वेतन में वृद्धि हुई है। 2018-19 तक प्रति कर्मचारी और प्रति दिवस की उत्पादकता में वृद्धि हुई किंतु उत्पादन में गिरावट के कारण पी ओ आई में गिरावट आई।

(ड.) **मालसूची**

60. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
मालसूची – औसत	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*77*	*66*	*83*

61. घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में 2018-19 तक गिरावट आई किंतु देश में मांग में वृद्धि के बावजूद पी ओ आई में यह बढ़ी है।

(च) **वृद्धि**

62. यह देखा गया है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, बिक्री कीमत,लाभ/हानि, स्टॉक और बिक्रियों की लागत की शर्तों में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
सकल उत्पादन	%	-	9	43	(13)
घरेलू बिक्री की मात्रा	%	-	20	12	(7)
घरेलू बिक्री की लागत	%	-	2	9	15
घरेलू बिक्री कीमत	%	-	31	22	(15)
घरेलू लाभ/हानि	%	-	(2,032)	72	(86)
औसत स्टॉक	%	-	(23)	(14)	26

(छ) **पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता**

63. पूंजी निवेश को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा यदि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(ज) **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

64. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक आदि घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों और पी ओ आई में बिक्रियों की लागत से कम है। कीमत कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। संबद्ध वस्तुओं की मांग क्षति अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यह देखा गया है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक आयात है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित वस्तुओं की कीमत निवल बिक्री आय, उत्पादन की लागत तथा घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है, जिस कारण भारतीय बाजार में कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत से कम कीमत पर बिक्री हुई है।

(झ) **पाटन मार्जिन की मात्रा**

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के विरूद्ध निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि प्रवृत पाटनरोधी शुल्क के बावजूद महत्वपूर्ण भी है।

(ञ.) **क्षति तथा क्षति मार्जिन की पद्धति**

66. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत को निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद के एन आई पी को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन को निर्धारित करने के लिए संबद्ध क्षेत्र से संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्यों की घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से तुलना की गई है। प्राधिकारी ने प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग से क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। भारित औसत मार्जिन *** रूपए/कि.ग्रा. (अमरीकी डॉलर *** /कि.ग्रा.) निर्धारित किया गया है।

67. यह नोट किया गया है कि पहुंच कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट के साथ घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ज. क्षति पर निष्कर्ष

68. पाटनरोधी नियमावली के तहत उपलब्ध कराई गई उल्लेखनीय क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पहले गिरावट आई और तत्पश्चत आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट के साथ पी ओ आई में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप, संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में पहले गिरावट आई और तत्पश्चात पी ओ आई में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट हुई है । ए डी डी के साथ भी कीमत कटौती महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है और इसके कारण पी ओ आई में कीमत ह्रास हुआ जबकि आयात 2017-19 तक घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे थे । संबद्ध देश से आयातों ने पी ओ आई में मात्रा और कीमत मापदंडों के रूप में घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाला है । विगत में आयोजित निर्णायक समीक्षा जांच की तुलना में वर्तमान पी ओ आई में क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है ।

झ. कारणात्मक संबंध तथा अन्य कारक

69. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

70. चीन से आयात भी पाटनरोधी शुल्क आकर्षित कर रहे हैं । प्राधिकारी कोरिया से आयातों की अलग से जांच कर रहे हैं । अन्य देशों से आयात मात्रा में महत्वपूर्ण नहीं हैं अथवा कीमत भी अधिक नहीं है और इसलिए इन्हें घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति के कारण के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता ।

मांग में संकुचन अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

71. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है । इसके विपरीत, इसमें वृद्धि हुई है और इसने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है । अत:, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान करने वाला कारक नहीं है । इसके विपरीत, इसमें वृद्धि हुई है और इसने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है । इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । खपत की पद्धति में परिवर्तन ऐसा कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति में योगदान कर सकता है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

72. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति में योगदान करें ।

प्रौद्योगिकी में विकास

73. उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है न ही निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है । इसलिए, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति का कारण नहीं है ।

निर्यात निष्पादन

74. आवेदक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करता है । क्षति संबंधी सूचना को पृथक कर दिया गया है और इसलिए यह घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है ।

ञ. प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां

75. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं । उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे पहले ही जांच के दौरान उठाए जा चुके हैं और उन पर उचित रूप से चर्चा की जा चुकी है । अतिरिक्त प्राप्त निवेदनों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :-

ट. घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियां

76. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं :-

i. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए कीमत आश्वासन के संबंध में, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा भी देखा गया है, यह कहा गया है कि चूंकि उक्त निर्यातक ने कोई उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया है, कीमत आश्वासन के लिए इसके अनुरोध

पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । एस एस आर मामले में रूस के लिए प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया पाटन मार्जिन 100-150 % था । यह पाटन न करने के उनके कथित अभिप्राय के बारे में निर्यातक के दावों का खंडन करता है । इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने कीमत वचनबद्धता (प्राइज अंडरटेकिंग) को प्रस्तुत करते समय भी कोई ग्रेडवार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट नहीं किया है । निर्यातक को असहयोगी मानना उचित है और कीमत वचनबद्धता (प्राइज अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करने के द्वारा इस जांच की दिशा को बदलने के किसी भी प्रयास को रद्द किया जाना चाहिए ।

ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियां

77. नीचे प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन प्रस्तुत किए गए हैं :-

i. प्रकटीकरण में सूचीबद्ध आयातक/प्रयोक्ता/संघ रूसी उत्पादक हालोपॉलीमर से संबद्ध वस्तुओं को क्रय कर रहे हैं । यह जांच की अवधि के लिए सीमा शुल्क सांख्यिकी द्वारा प्रमाणित होता है । पूर्वोक्त के आधार पर, प्रश्नावली उत्तरों की अनुपस्थिति से संबंधित कथन जांच के लिए अप्रमाणिक और असंगत है । ऐसे संगठनों द्वारा प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करने में असफलता, जो विचाराधीन उत्पाद के आयातक नहीं हैं, पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयात शुल्क को जारी और (अथवा) बढ़ाने की आवश्यकता के साक्ष्य के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ii. आयातों की मात्रा विनिर्दिष्ट समानुपात (16 गुणा) में नहीं बढ़ी है । इसके अतिरिक्त, घोषित मात्रा रूसी उत्पादकों के उत्पादन की उचित और संभावित मात्रा से अधिक है । आवेदक द्वारा आंकड़ों की किसी प्रमाण द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

iii. मांग में वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं वैश्विक बाजार में मांग में हैं । रूस से विचाराधीन उत्पाद का आयात और तैयार उत्पादों के उत्पादन के लिए भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका प्रयोग भारतीय उत्पादकों को युनाइटेड स्टेट्स जैसे विदेशी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देता है । अतिरिक्त प्रतिबंध, तैयार उत्पादों का उत्पाद करने के लिए भारतीय उत्पादकों की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा । इसके अलावा, यह विचारधारा रूस और भारत के बीच पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक सहयोग की प्रवृति के तद्नुरूप है ।

iv. जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में वृद्धि नहीं हुई और आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से निम्न नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्रावधान किसी विक्रेता द्वारा उत्पाद बेचने के मुख्य उद्देश्य-लाभ प्राप्त करने के विपरीत है ।

v. आवेदक द्वारा उत्पाद की कीमत में वृद्धि के कारण बिक्री में गिरावट आई है । मांग में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि भारतीय वस्तुओं की वैश्विक बाजार में मांग आरंभ हो गई थी किंतु अति प्रभार ने उन्हें चीन में बनी हुई वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं दी ।

vi सहयोग से इंकार करने वाला निर्यातक धृष्ट और असत्य है । हालोपॉलीमर विश्व में कठिन महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो, जांच में भाग लेने, सहयोग करने के लिए तैयार है ।

vii. तैयार उत्पादों के विनिर्माताओं को शामिल न करते हुए केवल आवेदक द्वारा किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन की सीमा तक घरेलू उद्योग की अवधारणा को सीमित करना अस्वीकार्य है । यह विचारधारा आंकड़ों को विरूपित करती है और घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में गलत निष्कर्ष प्रस्तुत करती है ।

viii. हॉलीपॉलीमर ने निर्यातित उत्पादों के विभिन्न ब्रांडों के संबंध में एक कीमत आश्वासन करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया है और एक उचित प्रस्ताव उपलब्ध कराया है जिस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया ।

ix. आयात मात्रा और बाजार हिस्से से संबंधित सारणी इंगित करती है कि रूसी निर्यातक ने 2018-19 के दौरान 18 टन उत्पाद का आयात किया । घरेलू विनिर्माता द्वारा घोषित आंकड़े स्वयं घरेलू बाजार पर

रूसी निर्यातों के प्रभाव की स्पष्ट अनुपस्थिति और रूस में विनिर्मित उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के सिद्धांतवादी अधूरेपन की ओर संकेत करता है ।

x. प्रकटीकरण बताता है कि विभिन्न ग्रेडों के लिए पृथक पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं । हालांकि, प्रकटीकरण में ऐसी कोई ग्रेडवार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे हम कोई अर्थपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत कर सकें । यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा सभी ग्रेडों में से कौन से ग्रेड उत्पादित किए गए थे और रूस से मात्रा और कीमत की शर्तों में तुलनीय ग्रेड में आयातों से प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या था ।

xi. प्राधिकारी को डी आई द्वारा ऐतिहासिक रूप से की गई प्रगति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए और अपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि तत्कालीन पिछले वर्ष और पी ओ आई के बीच गिरावट शुल्क को और बढ़ाने की मांग करती है । इसके विपरीत, यह मामला आधार वर्ष और पी ओ आई के बीच प्राप्त की गई अत्यधिक वृद्धि के कारण शुल्क को समाप्त करने के लिए एकदम उचित है जो डी आई की समग्र स्थिति का अधिक निर्देशक है ।

ड. रूसी संघ द्वारा की गई टिप्पणियां

78. रूसी निर्यातक ने कीमत वचनबद्धता (प्राइस अंडरटेकिंग) को निर्धारित करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया है किंतु प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया था । ए डी ए के अनुच्छेद 8.1 और 8.3 के अनुसार, पाटित कीमतों पर प्रश्नाधीन क्षेत्र के निर्यात को बंद करने अथवा उसकी कीमतों को संशोधित करने के लिए किसी निर्यातक से संतोषजनक स्वैच्छिक आश्वासन की प्राप्ति पर अनंतिम उपायों अथवा पाटनरोधी शुल्कों को लगाए बिना कार्रवाही को स्थगित अथवा समाप्त किया जा सकता है ताकि प्राधिकारी संतुष्ट हों कि पाटन का क्षतिकारक प्रभाव दूर हो गया है ।

79. रूसी निर्यातक जहां तक संभव हो सके सहयोग करने, जांच में भाग लेने के लिए वचनबद्ध है इसलिए प्राधिकारी को हॉलोपॉलीमर जे एस सी द्वारा सुझायी गई कीमत वचनबद्धता (प्राइस अंडरटेकिंग) पर विचार करना चाहिए ।

ढ. प्राधिकारी द्वारा जांच

80. प्राधिकरण ने ध्यान दिया कि मेसर्स हेलोपोली निर्माता / निर्यातक ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की। इसलिए प्राधिकरण ने डी जी सी आई एंड एस तथा डीआई के डेटा के माध्यम से उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर ग्रेड वार कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल वैल्यू (सीएनवी) और एन आई पी का मूल्यांकन किया है ताकि डंपिंग और चोट मार्जिन की गणना करने के लिए एक भारित औसत एन वी और एन आई पी का मूल्यांकन किया जा सके। चूंकि निर्यातक ने कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की थी, इसलिए ग्रेड वार गणना पर कोई गोपनीय खुलासा नहीं किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि कोरिया और चीन से पीटीएफई के विरोधी परिधि के चल रहे समवर्ती मामले में रूस से कम आयात का संबंध है, निर्माता / निर्यातक ने प्रस्तुत किया है कि हेलोपोलिमर के पास दक्षिण कोरिया में एक वेयर हाउस है जो वैश्विक सप्लीमेंट / संचालन का हिस्सा है वैश्विक व्यापार में रसद क्षमताओं के लिए कंपनी की। यह सुविधा किसी भी निर्माण गतिविधि के लिए उपयोग नहीं की जाती है। इसलिए, प्राधिकरण ने इस पहलू को ध्यान में रखा है और दक्षिण कोरिया से आयात का संज्ञान लिया है और साथ ही पहले के पैरा में भी उल्लेख किया है।

81. प्राधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने मैसर्स हेलोपॉलीमर द्वारा की पेशकश की गई कीमत को स्वीकार करने की इच्छा नहीं जताई है। चूंकि, पीयूसी में विभिन्न ग्रेड शामिल हैं, जबकि एक भारित औसत माप यथार्थवादी हो सकता है, सभी ग्रेड के लिए एक मूल्य उपक्रम को घरेलू उद्योग द्वारा विचार का पक्ष नहीं मिला है। प्राधिकरण मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में एक भी मूल्य को व्यवहार्य और व्यावहारिक नहीं मानता है। प्राधिकरण ने पहले के पैरा में माना है कि घरेलू उद्योग विशेष रूप से लाभप्रदता, नकदी लाभ और पीबीआईटी वित्तीय मापदंडों पर चोट कर रहा है।

ण; निष्कर्ष

82. इन बातों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

i. संबद्ध सामान जांचाधीन अवधि के दौरान संबद्ध देश से उनके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यातित किए गए हैं।

ii. उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम से अधिक नहीं है बल्कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद काफी भी है।

iii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण निरंतर क्षति हो रही है।

iv. संबद्ध देश से आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क परिवर्तित पाटन मार्जिन के मद्देनजर अधिसूचित किया जाना होता है और एलडीआर के अनुसार क्विंटल क्षति पहुंचाता है।

ड़. सिफारिश

83. प्राधिकरण ने विषय वस्तुओं के आयात पर एंटीडम्पिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो कि देश के अंतिम निर्यात अधिसूचना संख्या 15/02/2015- डी जी ए डी से 12 वीं मार्च 2016 को लागू किया गया था। वीडियोग्राफी अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 16 जून, 2016 बाद में संशोधित संशोधित सीएन नंबर 22/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 16 मई, 2017।

84. प्राधिकरण नोट करता है कि मध्यावधि समीक्षा की जांच शुरू की गई और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया और घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक दलों को डंपिंग, चोट और के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। कॉजल लिंक। प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को उच्च स्तर पर विषय देश से विषय वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण चोट जारी है।

85. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण विषय वस्तु के आयात पर विद्यमान एंटी-डंपिंग कर्तव्यों के संशोधन की सिफारिश करना आवश्यक समझता है, जो विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, सी.एन. नंबर 22/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 16 मई, 2017 को नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किया गया है:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष ***	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3904 61 00	"पॉलीटेट्रैफ्लुओरोइथाइलीन " (पीटीएफई)	सभी ग्रेड	रूस	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	2.33	किग्रा.	अम.डॉ.

***टिप्पणी- सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त विचाराधीन उत्पाद उस समय भी पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन होना चाहिए जब उसका आयात किसी अन्य एच एस कोड के तहत किया जाए।

ढ़. आगे की प्रक्रिया:

86. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

Final Findings

New Delhi, the 18th December, 2020

Case No. (MTR-02/2020)

Subject : Mid-Term Review investigation concerning imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in or exported from Russia.

F. No. 7/10/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules') thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

a. The Original Investigation

1. Whereas, having regard to the Act and the Rules, the original investigation concerning imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration or ' PUC') originating in or exported from Russia, was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as 'the Authority') vide Notification No. 24/1/98-DGAD dated 22nd January, 1999. The Preliminary Findings were notified on 9th June, 1999 and the provisional duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 83/99-Customs dated 30th June, 1999. The Authority notified final findings on 13th October, 1999 recommending definitive antidumping duty on the subject imports of the subject goods. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject country were imposed vide Notification No. 141/99-Customs dated 30th December, 1999.

2. The Authority initiated 1st sunset review investigation vide Notification No.15/6/2003-DGAD dated 8th October, 2003. The Authority recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on the subject imports from the subject country vide notification No.15/6/2003-DGAD, dated 7th October, 2004 holding that the domestic industry continues to suffer material injury. The form of duty was changed to reference price. Ministry of Finance extended definitive antidumping duty vide notification No. 110/2004-Customs, dated the 18th November, 2004 on imports of the subject goods from the subject country.

3. The Authority initiated 2nd sunset review investigation vide Notification No. 15/30/2008- DGAD dated 27th February 2009 and recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty vide Notification No. 15/30/2008-DGAD, dated 26th February 2010 holding that domestic industry continues to suffer material injury. The form of duty was changed to fixed form-. The Ministry of Finance extended definitive antidumping duty vide notification No. 57/2010-Customs, dated 3rd May 2010 on imports of the subject goods from the subject country.

4. The Authority initiated 3rd Sunset Review investigation vide Notification no. 15/2/2015-DGAD dated 13th April 2015 and issued Final Finding dated 12th April, 2016 recommending continuation of duties holding domestic industry continues to suffer material injury. The antidumping duty was reduced. Ministry of Finance through Notification No 23/2016-Customs (ADD) dated 6th June, 2016 extended duty for a period of 5 years.

5. The domestic industry filed appeal against the final findings before the Hon'ble CESTAT. Hon'ble CESTAT vide order dated 16th September 2016, remanded the matter back to the Authority on the issue of determination of Non-Injurious Price (NIP). The Authority issued revised Final Findings vide Notification No. 15/02/2015-DGAD dated 15th March 2017 and the Ministry of Finance imposed the revised duties vide Customs Notification No.22/2017 dated 16th May 2017. The said ADD is in force till 5th June 2021.

b. Present Mid-term Review investigation

6. M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application requesting enhancement of quantum of the anti-dumping duties in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The Applicant contended that the circumstances have changed from the time of last conducted investigation and such change in circumstances has led to domestic industry suffering injury and requested for enhancement of anti-dumping duty imposed. After prima facie examination of facts, the Designated Authority initiated Mid Term Review vide Notification No. 7/10/2020-DGTR dated 16th April, 2020.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regards to the investigation.

i. The Authority, issued a public notice dated 16th April 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating midterm review investigation concerning imports of the subject goods from subject country.

ii. The Authority forwarded a copy of the public notice along with questionnaire to Embassy of the subject country in India, all known exporters, importers and industry associations (whose details were made available by the Applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within thirty seven days from the date of publication of the notification or from the date of letters.

iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of subject country in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

iv. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

a. Halo Polymer Trading Inc.

v. In response to the initiation of the subject investigation, Halo Polymer Perm, JSC, Halo Polymer Kirovo-Chepetsk, LLC, and Halo Polymer Trading Inc. have filed only their legal submissions. The said exporters had submitted that they could not file questionnaire response as there was lockdown due to COVID-19 pandemic. However, domestic industry contended, based on comments on the submissions of the exporter, that this was a factually incorrect statement made by their legal consultants, as confirmed by the exporter itself. The exporter has stated that it was fully operational during lockdown period. The exporter is thus being treated as non-cooperative on account of questionnaire not being filed by them. However, submissions made, wherever found relevant, have been examined. Therefore, none of the producers/exporters from the subject country have filed the exporter's questionnaire response.

vi. The submissions by the Russian Federation have been duly considered.

vii. Questionnaires were also sent to the following known importers, users and associations of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

1.	M/s Meerut PTFE Products Pvt. Ltd.	2.	M/s Trestar Elektroniks
3.	M/s Tonk & Associates (P) Ltd.	4.	M/s Xomox Sanmar Ltd.,
5.	M/s T & F Insulations (P) Ltd.	6.	M/s Sanghvi Products
7.	M/s Finer Enterprises Pvt. Ltd.	8.	M/s Rasaii Flow Lines,
9.	M/s Venus Industries	10.	M/s Supremo Polymer Industries
11.	M/s Siflon Polymers,	12.	M/s Poly Fluoro Ltd

13.	M/s MIL Industries Ltd.,	14.	M/s Rollon Bearings P. Ltd.
15.	M/s Dip Flon Engineering Co.	16.	M/s Plastic Product engineering Co
17.	M/s Karnataka Polymer Product	18.	M/s Trelleborg Sealing Solutions (India) P. Ltd.,
19.	M/s PKN Caps & Polymers (P) Ltd	20.	M/s Mach Polymers.
21.	M/s Sanghvi Techno Products.	22.	M/s Ghaziabad Flopol Insulations Pvt. Ltd.
23.	M/s Jai hind polymers.	24.	M/s Tefkot Cable Company
25.	M/s Dhwani Polymer Industries.	26.	M/s Electro Polymers Pvt. Ltd.,
27.	M/s Aflon Engg Corporation	28.	M/s Hindustan Polymers,
29.	M/s Packlon Industries.	30.	M/s Aarathy Engg. Plastics,
31.	M/s Flora Enterprises Pvt. Ltd.,	32.	M/s S.N. Enterprise,
33.	M/s Babuji Electronics & Chemicals,	34.	M/s Hi-Tech Polymers,
35.	M/s Hindustan Nylons,	36.	M/s National Fluoromers, Industrial
37.	M/s Neo Wires & Allied Products Pvt.	38.	M/s Pap-Flon Engineering Co.,
39.		40.	M/s Vee Bee Industries,
41.	M/s Fluoro-Tech Engineering Pvt. Ltd.,	42.	M/s Galaxy Thermoplast Pvt. Ltd.,
43.	M/s GMM Pfaudler Ltd,	44.	M/s Dynamic (GLS) Industries
45.	M/s Shraddha Polymer Industries	46.	M/s Kanan Polymer.

viii. In response to the initiation notification, none of the above-mentioned importers, users and associations have responded or filed the questionnaire response.

ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

x. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xi. Further information was sought from the Applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.

xii. Desk Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigations.

xiii. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and has been worked out so as to ascertain whether the present Anti-Dumping duty is sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xiv. Investigation was carried out for the period starting from April, 2019 to December, 2019 (9 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI"). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.

xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the details of imports of subject goods during last four years, including period of investigation, and the same was received by the Authority. The Authority has used the DGCI&S imports data for computation of the volume and value of imports and injury analysis.

xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in hearing held on 28th August, 2020. All the parties were requested to submit their written submissions and the rejoinder to the written submissions latest by 3rd September, 2020 and 8th September, 2020 respectively.

xvii. The submissions made by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority have been addressed in this notification.

xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.

xix. A Disclosure Statement was issued on 18.11.2020 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, granting time up to 25.11.2020 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.

xx. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxi. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1USD=Rs 71.24.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the Domestic Industry

8. The domestic industry has made following submissions with regard to the scope of product under consideration and the like article:

i. The instant investigation being a mid-term review investigation for examination of request for enhancement of the Anti-dumping duty in force, the product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations.

ii. The product involved in the previous investigations and the present review investigation is "Polytetrafluoroethylene" (also referred to as PTFE).

iii. PTFE falls within Chapter 39 of the Custom Tariff Act, 1975 under custom sub-heading 390461 and 39046100 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

iv. There is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and subject goods imported into India. They are comparable in terms of the technical specifications, quality, functions or end-uses. The two are technically and commercially substitutable. Hence, should be treated as like articles in accordance with the Rules.

C.2 Views of the Opposing Interested Parties

9. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles.

C.3 Examination by the Authority

10. The present investigation is a mid-term review investigation and the scope of the product under consideration, as defined in the last conducted sunset review investigation is "Polytetrafluoroethylene" (also referred to as PTFE) originating in or exported from Russia.

11. PTFE is produced in various grades, such as molding grade, fine powder, aqueous dispersion and compound grades of filled grades. All grades that were included in the scope of the previous case and current duties are within the scope of the present review. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, non-toxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

12. The product is classified under Customs Tariff sub-heading 390461 and 39046100 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

13. The Authority notes from the information on record that the product under consideration produced by the domestic industry is "like article" to the goods imported from the subject country. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of technical specifications, functions or end-uses product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of the Domestic Industry

14. The domestic industry has made following submissions with regard to domestic industry and standing:

i. M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. has filed the application for review for enhancement of anti-dumping duty. There is one other producers of PTFE in the country, apart from the applicant, namely, Hindustan Fluorocarbons Ltd. The Applicant however continues to be a major producer of the subject goods in India and commands 99% share in the Indian production in the POI and, therefore, constitutes domestic industry.

ii. The applicant has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

iii. The Applicant satisfies the standing requirement and constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

D.2 Views of the other Interested Parties

15. None of the exporters, importers, consumers and any other interested parties has filed any comment or submission with regard to standing of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

16. The application has been filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. Further, there is one other producer of the subject goods apart from the applicant, namely, Hindustan Fluorocarbons Ltd.

17. The production by the applicant constitutes 99% of the total domestic production. Further, the applicant has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of the subject goods in subject country or any importer of the product under consideration in India.

18. In view of the above, the Authority holds that the Applicant constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the Domestic Industry

19. Views of the domestic industry with regards to confidentiality are as follows:

i. All information has been disclosed to the extent possible. As regards excessive confidentiality with regard to the basis of calculation of injury margin and normal value, the same has been disclosed to the extent possible within the confidentiality of information.

ii. The normal value has been constructed on the basis of estimates of cost of production, considering prices of major raw materials and other costs, as per facts available. Further, reasonable profit has been added to the cost of sales for the purpose of determination of normal value.

iii. Information that is commercially sensitive and confidential information have not been disclosed.

E.2 Views of the other Interested Parties

20. Views of other interested parties with regards to confidentiality are as follows:

i. The Russian Federation during the course of the present investigation with regard to transparency and confidentiality submitted that no information on normal value, calculation of injury margin disclosed in NCV which deprives Russia right to defence and violates Article 6.2.

E.3 Examination by the Authority

21. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties in the form of an e-file through e-mail for the interested parties containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

22. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties were shared amongst each other by interested parties online due to constraints of access physical public file.

F. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN (DM)

23. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, normal value in relation to an article means:

> *"i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
>
> *ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
>
> > *a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
> >
> > *b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)"*

24. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. However, none of the producers/exporters have filed response. The legal consultants for the exporter stated as follows with regard to its inability to file questionnaire response.

> *"It may kindly be noted at the parties could not complete the EQ Responses on account of such lock downs within the time lines set by the Authority. EQR required very detailed information for 4 years which was not readily available in the prescribed format and the parties could not complete the process of filling the same within the time limits as the Offices were not operational and the personals concerned did not have any proper access to such historical and voluminous data."*

25. The exporter itself however stated as follows in the marginal note of the submission

> *"We cannot prove the statement, plants and offices worked during the lock down period"*

26. It is also noted that the exporter filed no questionnaire response within the time limits or even thereafter. The Authority thus, notes that exporter has not cooperated with the Authority. The exporter, Halo Polymer Perm, JSC, has however offered a price undertaking for a minimum price of US$ 4.5/Kg. There is no grade wise price offer by the exporter. However, since the exporter has not cooperated with questionnaire response, and the product involves a number of different product types, the price undertaking submitted by the exporter has not been accepted.

F.1 Normal Value

27. Since none of the exporters in Russia have cooperated with the Authority by submitting questionnaire response nor have submitted any evidence with regard to the Normal Value of the subject goods, the Authority is constrained to determine the normal value on the basis of the facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production in Russia, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits.

28. The imports in the last conducted investigation pertained only to grade 4RB, however the imports in the POI has been made of various other grades. Other grades forms 69% of total imports in the POI. The normal value has been determined separately for different grades with the weighted average normal value of all grades being computed as US$ ***/MT.

F.2 Export Price

29. None of the exporters from the subject country has provided any information/details of export price. The Authority has, therefore, determined the export price on the basis of the DGCI&S import data. Further, the net export price at ex-factory level in respect of all exporters from Russia has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Insurance, Commission, Bank Charges, Insurance, Port Expenses and Inland Freight Charges on the basis of facts available to determine export price at ex-factory level. The weighted average net export price for all grades so determined is US$ ***/ MT.

F.3. Dumping Margin

30. On the basis of the as above stated normal value and export price so determined at ex-factory level, the dumping margin has thus been worked separate by for each grade. The weighted average dumping margin comes to Rs***/Kg (US$ ***/Kg).

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Injury Determination

G.1.1 Views of the Domestic Industry

31. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

i. NIP has changed significantly since the last concluded investigation in view of increase in cost of production since 2016-17, whereas the import price has declined significantly from previous year i.e. 2018-19. Thus, injury margin (IM) has increased.

ii. Volume of imports have increased 16 times the imports of previous year. This figure would be higher if Korean imports are added.

iii. Demand of the subject goods have increased over the injury period.

iv. Imports in absolute as well as in relation to production and consumption have increased significantly in the POI as compared to the previous year.

v. Price undercutting was earlier negative as the import volume was low. However, the price undercutting became positive and imports increased significantly in POI.

vi. Cost of production has increased over the injury period and selling price has declined in the POI. Import price was much below the level of cost of sales and selling price of the domestic industry.

vii. Considering increasing demand, capacity has increased. Production increased till 2018-19 but has declined in POI. Capacity utilization increased till 2018-19 but has declined in POI. Sales have declined despite increase in demand.

viii. Cash profits, profitability and ROI, increased up to 2018-19 but have declined significantly in POI.

ix. Market share of DI in demand increased up to 2018-19 but declined in POI, whereas imports declined till 2018-19 and increased in POI.

x. Inventories declined till 2018-19 but increased in POI.

xi. Growth was positive till 2018-19 but across all parameters has registered negative growth in POI.

xii. Exporter has intentionally chosen to not participate by filing the EQR, despite the resources being available, and hence, must be treated as non-cooperative, as their comment in the written submissions proves.

xiii. No restriction on conducting MTR investigation one year prior to expiry of duties. The domestic industry is already suffering injury. Waiting for sunset review investigation would mean continued injury to the domestic industry for another one year at the least.

xiv. Price undertaking should not be accepted because (a) exporter has blatant false statement with respect to reason for not filing EQR; (b) prices of different types varies; (c) exporter sold only one grade in the previous POI and got a low duty, price undertaking would leave this exercise futile; (d) there is a prima facie case of circumvention as well.

xv. Price undertaking being shown as a favour to DI when in fact there is a high dumping margin and exporter is prone to dumping.

xvi. Applicant has only referred to Korean imports to show the volume of Russian imports – whether imported directly or through other countries. Merits of the present case, however, are well established based on the data on standalone basis. All data such as NIP, injury margin, dumping margin, export price, landed price and import price have been calculated only for Russia. Imports reported from Korea have not been included for the purposes.

xvii. Net Sales Realisation (NSR) is significantly lower than NIP.

xviii. Exporter had conveniently exported only one grade in the previous POI, thus attracting lower duty; and is now exporting several grades. Authority had imposed such lower duty on entire spectrum of PUC based on one grade, even though the price and cost varies grade wise. Margins even for 4RB has increased significantly.

xix. Exporter has submitted no data to corroborate decline in cost of fluorspar. Evidence shows that in fact in 2018-19 and POI the price of fluorspar has increased significantly.

xx. Rather than an end-point to end-point analysis, the examination of the economic situation of the domestic industry should take into account events within the entire injury period. It is not appropriate to compare the performance of the domestic industry between the base year and the POI. Such analysis would render information for the intervening period redundant and would not be an objective analysis. Reference is invited to *Argentina– Safeguard Measures on Imports of Footwear*, and *EC — Tube or Pipe* Fittings.

xxi. The purpose of providing data from the base year is so that the Hon'ble Authority can appreciate the change in circumstances and injury to domestic industry with changes in pattern of trade. If the same occurs after a certain year, then so be it, as that justifies the merits of the present application, that so long as the imports were not coming in at dumped prices, the domestic industry was able to improve its performance.

xxii. HF Acid case is different from the present case in HF Acid as well end point to end point analysis was not conducted. It was both from base year and previous year. In HF Acid case, the profits and ROI of the domestic industry improved in POI as compared to both the base

year and preceding year. However, in the present case, there has been whopping decline in profits and ROI in the POI as compared to previous year.

xxiii. There is positive evidence of price suppression/ depression, undercutting and underselling coupled with negative growth across all of domestic industry's parameters, especially profits and ROI, unlike in HF Acid as would appear from reading the conclusion of HF Acid. The exporter by comparing the two cases, has managed to support the merits of this case, and presented more reasons as to why duties need enhancement.

xxiv. As long as the duties were effective the domestic industry was able to perform well. However, since 2018-19 the circumstances have changed as represented in the data submitted.

xxv. 22% of ROI is the reasonable level of ROI considered by the Authority, which the domestic industry was not yet been able to realise. The maximum ROI registered by the domestic industry was ***%. The ROI since then has declined to mere ***%.

G.1.2 Views of the Interested Parties

32. The opposing interested party, namely Halo Polymer, made submissions as under:

i. Reason for not filing response is COVID-19 as company could not operate.

ii. Duties will expire in a year from now and hence MTR at this stage is not essential.

iii. Facts show withdrawal of duties and claim for enhancement of duties are unsubstantiated, therefore price undertaking should be considered.

iv. Swift withdrawal of price undertaking by domestic industry demonstrated that the case lacks merit.

v. Application not tenable under law because there is presumption of circumvention. POI of both MTR and circumvention are same. The Initiation Notification of circumvention case states that remedial effects were undermined due to circumvention. This is a case of applicant seeking multiple remedies.

vi. Applicant's claim that only 4RB was exported and now other grades are being exported is incorrect. Fact is other grades have been exported in the past.

vii. NIP/injury margin quantified has no meaning as DI has not suffered injury. Applicant should be directed to give import and injury data from Russia. Increase in injury margin untenable as imports from Korea have been considered.

viii. Petition shows decline in imports and increase in import price. This shows the exporters were not reducing the prices to maintain any volumes to Indian market and the imports were taking place as per necessities in India.

ix. No adverse effect of imports as parameters of DI has improved. Purpose of MTR to ban imports and monopolise. 22% ROCE benchmark for NIP to determine injury in review cannot be considered. Thus, ADD as assurance to reach every year 22% cannot be considered.

x. PTFE is basic chemical, thus fluctuations in prices over the year due to key raw material cannot be ruled out. Hence, to examine the injury period that suits applicant is not reasonable. Base year to POI is common in AD cases and not shown why it should not be done in this case as well.

xi. Factors like substantial increase in interest, depreciation, wages, lack of growth in productivity etc. should be seen as to why profits came down a bit. Also, circumvention contradicts causal link of this case.

xii. Upon comparing facts of HF Acid and PTFE MTR, it would be seen that the fate of this should be same as HF acid.

xiii. Imports from Russia declined, and price increased. Increase in price is higher than increase in cost. NSR is higher than NIP, hence no injury.

xiv. Halo polymer has exported other product types in the past also. Import price increased by 35% from base year. Cost of fluorspar has remained stable and declined in POI. Injury parameters show robust performance and significant profits.

xv. NIP/injury margin relevant only for quantification of duty and since there is no continued injury hence, increased injury margin has no meaning. Claims of positive undercutting has no meaning when DI could register improvement in volume and price including selling price. Positive undercutting could be because of very high NSR.

xvi. Present case doesn't warrant ADD at all as profit, PBIT and ROCE has increased significantly.

33. The Russian Federation made the following submissions with respect to injury and causal link:

i. The comparison of POI (9 months) and previous years (full financial years) is incorrect due to non-equivalence of periods.

ii. Even if the argument that other range of products weren't exported to India is considered, even then the scope of the ADD still includes all ranges since 1999.

iii. No evidence that cost of raw materials has increased for products from Russia and that Russian producers did not proportionally increase its prices.

iv. Share of Russia in total imports has come down from 22% to 10% from base year to POI. Slight increase in imports in POI may be due to growing Indian demand.

v. Information including South Korea is unproven and hence inadmissible. Imports from third countries increased by 153% from base year, thus, deterioration of Indian industry may be due to that.

vi. Comparison has been done for last 2 periods i.e. 2018-19 and POI. Injury period is from 2016-17. Hence state of applicant can be seen from base year to POI. Growth: (a) Capacity by 9%; (b) production by 35%; (c) capacity utilization by 23%; (d) domestic sales volume by 26%; (e) export sales by 45%; (f) wages by 74%; and (g) productivity by 35%.

G.1.3 Examination by the Authority

34. Rule 11 of Antidumping Rules, read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like article and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.

35. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

36. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

37. It is noted that an anti-circumvention investigation has also been initiated on the ground that the imports from Russia are being circumvented through Korea. Hence, injury analysis has been undertaken both including and excluding imports from Korea while examining volume effect.

38. All the data in the POI have been annualised (i.e., multiplied by 12 and divided by 9) and then analysed/compared with the preceding years. Also, wherever, the present findings necessitate fair comparison for different types, the Authority has conducted a grade wise analysis.

A. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a) Assessment of Demand

39. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed and presented in the Table given below.

Demand In India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Actual
Sales of Domestic Industry including Captive	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	113	150	120	120
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	73	88	88	88
Imports from - Russia	MT	473	567	18	290	217
Import from Korea - Circumvented	MT	0.050	0.501	462	605	453
Total Imports both from Russia and Korea	MT	473	568	479	894	671
Imports from Other Country attracting ADD - China PR	MT	573	700	1024	844	633
Imports from other countries	MT	1070	1299	982	1083	812
Total Demand in India	MT	9657	11045	13750	11872	8904
	Indexed	100	114	142	123	123

40. It is noted that the demand for the product under consideration has shown an increase throughout the injury period, with a slight decline in POI.

b) Import Volumes and Market Share

41. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that with regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The information regarding imports and market share is provided in the table below:

Import Volume	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Actual
Russia	MT	473	567	18	290	217
Korea	MT	0	1	462	605	453
Other Country attracting ADD - China PR	MT	573	700	1024	844	633
Other countries	MT	1070	1299	982	1083	812
Total Import Volume	MT	2116	2567	2485	2822	2116
Subject Country Imports (Excluding Korea) in relation to						
Production	%	22.33	22.10	0.71	10.27	10.27
Demand	%	4.89	5.14	0.13	2.44	2.44
	Indexed	*100*	*105*	*3*	*50*	*50*
Domestic Sales	%	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*100*	*3*	*49*	*49*
Subject Country Imports (Including Korea) in relation to						

Production	%	22.34	22.12	19.29	31.70	31.70
Demand	%	4.90	5.14	3.49	7.53	7.53
	Indexed	*100*	*105*	*71*	*154*	*154*
Domestic Sales	%	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*100*	*75*	*150*	*150*

42. It is seen that imports from Russia, in absolute terms, declined till 2017-18 and increased significantly thereafter in the POI. Imports in relation to production and consumption also followed the same trend. Imports after including Korea, which is allegedly circumventing the duties imposed on Russia, shows significant increase in the POI.

B. Price Effect

43. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a) Price Undercutting

44. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. Further, only exports from Russia have been considered for the purpose. Exports from Korea have not been considered for the purpose.

Price Undercutting - Russia	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Without ADD					
Landed price of imports	Rs/Kg	318.21	465.36	721.09	442.35
Net sales realization	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	25-35	20-30	1-10	25-35
With ADD					
Landed price of imports	Rs/Kg	377.64	522.50	783.02	504.66
Net sales realization	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	(***)	***
Price undercutting	%	***	***	(***)	***
Price undercutting	% Range	15-25	10-20	(0-10)	15-25

45. It is seen that landed price of imports is below selling price of the domestic industry and are thus undercutting the prices of the domestic industry. Landed price of imports with ADD is also significantly below the selling price of the domestic industry. Interested parties have argued that the positive undercutting is due to a high NSR, which does not appear to be correct as the selling price is even below the NIP.

b) Price Suppression and Depression

46. In order to assess as to whether imports from subject country were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry over the injury period along with the landed price of imports over the injury period, and shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price of imports without ADD	Rs/Kg	318	465	721	442
	Indexed	*100*	*146*	*227*	*139*
Landed price of imports with ADD	Rs/Kg	*378*	*522*	*783*	*505*
	Indexed	*100*	*138*	*207*	*134*
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*102*	*112*	*128*
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*131*	*160*	*137*

47. It is seen that cost of sales, selling price and landed price of imports increased till 2018-19. However even when cost of sales increased in the POI, the landed price of imports and selling price declined significantly. The landed price of imports (even with ADD) are even below the cost of sales and selling price in the POI. Imports were thus depressing the prices of the product in the domestic market in the POI.

c) Price Underselling

48. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The analysis shows that during the period of investigation, the landed price of subject imports were below the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect. The weighted average injury margin on grade wise computed comes to Rs.***/Kg (US$ ***/Kg).

49. It is seen that the dumped imports from subject country were at prices materially below the non-injurious price for the domestic industry, thus resulting in significant price underselling.

C. Economic Parameters of the Domestic Industry

50. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and submissions made.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

51. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Actual
Capacity	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*100*	*109*	*109*	*109*
Production	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*108*	*155*	*134*	*134*

Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*109*	*141*	*123*	*123*
Sales of Domestic Industry including Captive	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	113	150	120	120

52. It is noted that:

i. Capacity of the domestic industry has increased over the injury period

ii. Production and sales increased till 2018-19. However, production and sales declined in POI despite increase in demand.

iii. Capacity utilization increased till 2018-19 but declined in the POI. Further, the level of capacity utilization is also low.

b) Profitability, Return on Investment and Cash Flow

53. The return on investment, profit/loss before and after interest, return on investment and cash profit during the injury period is as indicated in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Actual
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*102*	*112*	*128*	*128*
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*131*	*160*	*137*	*137*
PBT per unit -Domestic Sales	Rs/Kg	(***)	***	***	***	***
	Indexed	*(100)*	*1,932*	*3,322*	*475*	*475*
Total Profit before Tax - Domestic Sales	Rs.Lacs	(***)	***	***	***	***
	Indexed	*(100)*	*2,324*	*4,478*	*598*	*449*
Total Profit before interest and Tax - Domestic Sales	Rs.Lacs	(***)	***	***	***	***
	Indexed	*(100)*	*2,684*	*5,224*	*949*	*712*
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*1,232*	*2,306*	*494*	*371*
PBIT as % of Avg Capital Employed	%	(***)	***	***	***	***
	Indexed	*(100)*	*2,448*	*4,258*	*1,054*	*1,054*

54. It is seen that

i. The domestic industry had managed to recover from a situation of financial losses being suffered earlier. Profitability of the domestic industry improved till 2018-19. However, profitability of the domestic industry declined significantly in the POI, with the increase in import volumes and decline in the import price in the POI.

ii. Profits before interest, cash profits, ROI increased till 2018-19. However, profits before interest, cash profits, ROI declined significantly in the POI corresponding to steep decline in landed price of imports.

c) Market Share in Demand

55. Market share of the domestic industry in demand for the product under consideration is given in the table below:

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry including Captive	%	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*98*	*105*	*98*
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Subject Country - Russia	%	4.89	5.14	0.13	2.44
Korea	%	0.00	0.00	3.36	5.09
Other Country attracting ADD - China PR	%	5.94	6.34	7.45	7.11
Other Countries	%	11.08	11.76	7.14	9.12
Total Share in Demand	%	100	100	100	100

56. It is seen that the market share of domestic industry increased till 2018-19, when the market share of Russian imports declined. However, the market share of domestic industry declined in the POI with the increase in market share of Russian imports and despite decline in market share of China.

57. Market share of Russia in demand after including Korean imports shows significant increase in the POI.

d) Employment, productivity and wages

58. The analysis of the number of employees employed by the domestic industry, its productivity and wages paid show as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Annualised	Actual
Employment	Nos	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*109*	*127*	*135*	*135*
Productivity per day	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*143*	*125*	*125*	*125*
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*100*	*122*	*100*	*100*
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*109*	*127*	*174*	*174*

59. It is seen that the employment with the domestic industry has increased over the injury period with increase in capacity. The wages have increased throughout the injury period. Productivity per employee and per day increased till 2018-19 but declined in the POI to decline in production.

e) Inventories

60. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Inventory - Average	MT	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*77*	*66*	*83*

61. Average inventories with the domestic industry declined upto 2018-19 but has increased in the POI despite increase in demand in the country.

f) Growth

62. It is seen that the growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales, selling price, profit/loss, stock and cost of sales is negative in POI as compared to the preceding year.

Growth Compared to Previous Year	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Gross Production	%	-	9	43	(13)
Domestic Sales Volume	%	-	20	12	(7)
Cost of sales domestic	%	-	2	9	15
Selling price domestic	%	-	31	22	(15)
Profit/Loss domestic	%	-	(2,032)	72	(86)
Average stock	%	-	(23)	(14)	26

g) Ability to Raise Capital Investments

63. The domestic industry's ability to raise capital investment will be adversely impacted if the injury suffered by the domestic industry remains unaddressed.

h) Factors affecting domestic prices

64. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price of the Domestic Industry and cost of sales in the POI. The price undercutting has led to price depression in the Indian market. The demand for the subject goods increased significantly over the injury period and could not have been a factor affecting domestic prices. It is seen that the principal factor affecting the domestic prices is the imports. The Authority notes that price of imported goods is below the net sales realization, cost of production and also below the non-injurious price of the domestic industry, causing price undercutting, price depression and price underselling in the Indian market.

i) Magnitude of dumping margin

65. The Authority notes that the dumping margin determined against the subject country is not only more than de-minimis but also significant despite anti-dumping duty being in force.

j) Magnitude of Injury and Injury Margin

66. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports from the subject territory to determine injury margin. The Authority has determined injury margin separately for each grade. The weighted average injury margin come to Rs.***/Kg.(US$ ***/Kg).

67. It is noted that there has been a significant increase in the Non-injurious price of the domestic industry with significant decline in landed price.

H. CONCLUSION ON INJURY

68. Considering various parameters relating to material injury provided under the Anti-Dumping Rules, the Authority concludes that import of subject goods from the subject country first declined and thereafter increased significantly in POI with significant decline in import price. Consequently, market share of the imports from subject country first declined and thereafter increased significantly in the POI and that of the domestic industry has declined. Price undercutting is significantly positive even with ADD and has caused price depression in the POI, while imports were depressing the domestic prices till 2017-18. Import from the subject country has impacted the domestic industry adversely in terms of volume and price parameters in the POI. The injury margin has increased in the present POI as compared to the last conducted sunset review investigation.

I. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

69. The Authority examined whether other factors listed under the Rules caused injury to the domestic industry.

Volume and value of imports not sold at dumping prices:

70. Imports from China are also attracting anti-dumping duty. The Authority is separately investigating imports from Korea. Imports from other countries are not significant in volume or the price is higher and hence cannot be considered as the cause of the injury claimed to be suffered by the domestic industry.

Contraction in demand or Changes in the pattern of consumption:

71. Demand for the product under consideration has not registered any negative growth. Instead, it has increased and shown a positive growth. Thus, contraction in demand is not a factor contributing to the injury to the domestic industry. Moreover, the pattern of consumption with regard to the product under consideration has also not undergone any change. Change in the pattern of consumption is thus not a factor that could have contributed to the injury claimed by the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

72. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury claimed by the domestic industry.

Developments in technology:

73. Technology for production of the product has not undergone any change nor is any change likely in the foreseeable future. Developments in technology is, therefore, not a factor of injury claimed by the domestic industry.

Export performance:

74. The applicant exports the product under consideration. Injury information has been segregated and therefore it could not be the factor responsible for injury claimed by the domestic industry.

J. Post Disclosure Comments

75. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

K. Comments made by the Domestic Industry

76. The following comments on Disclosure statement are submitted by domestic industry:

i. In regard to the price undertaking offered by the exporter as also noted by the Authority, it is stated that since the said exporter has not even filed any response its request for price undertaking should not be entertained. The dumping margin recorded by the Authority for Russia in SSR case was 100-150%. This refutes the claim of the exporter about their alleged intentions not to dump. Additionally, the exporter has not even bothered to provide any information grade-wise even while offering the price undertaking. The exporter has rightly being treated as non-cooperative and any attempt to deviate the focus of this investigation by submitting a price undertaking, should be quashed.

L. Comments made by the other Interested Parties

77. The following are the submissions made by the other interested parties considered relevant by the Authority:

i. Importers/Users/Associations listed in the disclosure were purchasing the subject goods from the Russian producer HaloPolymer. This is proved by customs statistics for the period of investigation. Based on the foregoing, the statement about the absence of questionnaire responses is unrepresentative and irrelevant for the investigation. Failure to submit questionnaire responses by organizations that are not importers of the product under consideration should not be considered by the Designated Authority as evidence of the need to prolong and (or) increase the import duty.

ii. The volume of imports did not increase in the specified proportion (16 times). Moreover, the declared amount exceeds the reasonable and possible volume of production of Russian producers, the data are not confirmed by any evidence from the Applicant.

iii. The increase in demand indicates that the goods produced by the Indian industry is in demand in the global market. The import of the product under consideration from Russia and the use of it by Indian producers for the production of finished products have allowed Indian producers to enter foreign markets such as the United States. Additional restrictions, will negatively affect the ability of Indian producers to produce finished products. Moreover, this approach does not correspond to the trend of mutually beneficial economic cooperation between Russia and India.

iv. The cost of production during the period of investigation did not increase, and the price of imports could not be lower than the cost and selling price of the domestic industry, since this provision contradicts the main goal of selling products by any seller - making a profit.

v. Sales declined due to an increase in the price of products by the Applicant. Demand increased as Indian goods began to be in demand in the global market, but the overcharge did not allow them to compete with Chinese-made goods.

vi. The Exporter refused to cooperate is insolent and untrue. HaloPolymer is open to cooperation, participates in the investigation as much as possible, taking into account the difficult epidemiological situation in the world.

vii. It is unacceptable to narrow the concept of domestic industry to the extent of the production of products only by the Applicant, excluding manufacturers of finished products. This approach distorts the data and leads to a false conclusion about the injury to the domestic industry.

viii. HaloPolymer expressed its intention to establish a price undertaking in respect of various brands of products exported and provided a fair proposal, which, was not properly considered.

ix. The table on import volumes and market share indicates that the Russian exporter imported 18 tons of products during 2018-2019. The data declared by the domestic manufacturer itself indicate a clear absence of the impact of Russian exports on the domestic market and the principled inexpediency of establishing an import duty on products manufactured in Russia.

x. The Disclosure says separate dumping and injury margin have been determined separately for different grades. However, no such grade wise information is provided in the disclosure so that we can offer any meaningful comment. It is not clear which all were the grades produced by the petitioner and what was the level of competition from imports in comparable grade in terms of volume and price from Russia.

xi. The Authority should not undermine the progress historically made by the DI and make a sketchy conclusion that a dip between immediate previous year and POI calls for further enhancement of duty. Per contra, the case is a fit one for withdrawal of duty for the stupendous growth achieved between base year and POI which is more indicative of the overall situation of DI.

M. Comments made by the Russian Federation

78. The Russian exporter has expressed its intention to set price undertakings, but Authority did not accept it. According to Article 8.1 and 8.3 of the ADA, proceeding may be suspended or terminated without the imposition of provisional measures or anti-dumping duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped prices so that the Authorities are satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated.

79. The Russian exporter is open for cooperation, participates in the investigation as much as possible, therefore, the Authority should consider the price undertakings, suggested by Halo Polymer JSC.

N. Examination by the Authority

80. The Authority notes that M/s HaloPolymer producer/exporter did not file the questionnaire response. The Authority therefore on the basis of import data available through DGCI&S and DI's data has evaluated grade wise Constructed Normal Value (CNV) and NIP so as to evaluate a weighted average NV and NIP to compute Dumping and Injury Margin. As the exporter did not file any questionnaire response no confidential disclosure on grade wise computation has been provided to them. The Authority notes that as regards low imports from Russia, in the ongoing concurrent case of anti-circumvention of PTFE from Korea and China, the producer/exporter has submitted that HaloPolymer has a warehouse in South Korea which is part of global supply chain/operations of the company for logistic efficiencies in the global trade. This facility is not used for any manufacturing activity. Therefore, the Authority has kept this aspect in view and has taken cognisance of imports from South Korea as well as mentioned in earlier paras.

81. The Authority notes that domestic industry has not expressed any willingness to accept the price undertaking offered by M/s HaloPolymer. Since, the PUC comprises of various grades, while a weighted average measure may be realistic, one price undertaking for all grades has not found favour of consideration by the domestic industry. The Authority also does not consider a single price undertaking as feasible and practical the in the factual matrix of the case. The Authority has held in the earlier paras that domestic industry is suffering injury on financial parameters especially profitability, cash profit and PBIT.

O. Conclusion

82. After considering the foregoing the Authority concludes that –

i. The subject goods have been exported below their Normal Value (NV) from subject country during the period under investigation.

ii. The dumping margin determined for the producers/exporters is not only more than de-minimis but also significant despite anti-dumping duty being in force.

iii. The domestic industry continues to suffer injury on account of dumped imports from subject country.

iv. Anti-dumping duty in respect of imports from the subject country is required to be modified in view of changed margin of dumping and consequential injury in accordance with the lesser duty rule.

P. Recommendation

83. The Authority had recommended imposition of antidumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country vide Final Findings Notification No. 15/02/2015-DGAD dated 12th March 2016 which was imposed by the Central Government vide Notification No. 23/2016-Customs (ADD) dated 16th June, 2016 later modified vide C. N. No. 22/2017-Customs (ADD) dated 16th May, 2017.

84. The Authority notes that the mid-term review investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic producers, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. The Authority has concluded that the domestic industry continues to suffer injury on account of dumped imports of the subject goods from the subject country at a higher level.

85. In view of the above , the Authority considers it necessary to recommend modification of the existing anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in C.N. No. 22/2017-Customs (ADD) dated 16th May, 2017 as specified in the table below:

DUTY TABLE

S.N.	Sub-Heading ***	Description of Goods	Specifi-cation	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3904 61 00	Polytetrafluorethylene (PTFE)	Any	Russia	Any	Any	Any	2.33	Kg.	US Dollar

***Note - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

Q. Further Procedure

86. An appeal against the order of the central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.18 23:11:38 +05'30'